न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 221/2017

1. घासीलाल पुत्र भौरीलाल
2. रामपाल पुत्र बजरंग लाल
3. रामनारायण पुत्र सूजीलाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम तितरिया तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व. कालूराम
2. ग्यारसीलाल पुत्र स्व. कालूराम
3. पांचूराम पुत्र स्व. श्री कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ढाणी नांगल्या भट्ट जी ग्राम पंचायत बीलवा तहसील सागांनेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेंट्स/वादीगण

4. मूली देवी पत्नी स्व. मांगू जाति अहीर, निवासी ग्राम भोज्याण्ड तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन, अपीलांट की ओर से।

2– श्री एस.पी. पारीक, रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

3– श्री लोकेश कुमार शर्मा, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट बखिलाफ निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 21–3–2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू मु. 307/13 उनवानी रामचन्द्र बनाम मूली प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि वो मीणा जाति से है तथा ग्राम टुंटोली तहसील चाकसू के साबिक खसरा नम्बर 276 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1931 रकबा 6.86 है के खातेदार वादीगण के पिता कालूराम थे तथा जिन्होनें एक विक्रय पत्र उपपंजीयक चाकसू के यहां दिनांक 31.01.1974 को प्रतिवादी नम्बर 1 के पति के नाम करवाया जो प्रारम्भ से ही शुन्य है प्रतिवादी नं. 1 के पति मांगू को उन्होनें बाँटे पर काश्त बता रखी थी उक्त विक्रय पत्र फर्जी तथा धारा 42 के खिलाफ है इस कारण विक्रय पत्र को शुल्य घोषित करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस पर प्रतिवादी नं. 1 हाजिर अदालत आई तथा उसने दिनांक 22.11. 2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजीनाम लिखकर दे दिया तथा उक्त राजीनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने हाल अपीलार्थीगण की भूमि की बाबत उक्त दावा दिनांक 21.3.2017 को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि दावे में वादी व प्रतिवादीगण ने वास्तविक तथ्य छुपाते हुए मिथ्या व फर्जी तथ्यों पर दावा पेश कर फर्जी तरीके से राजीनामा कर डिक्री करवा लिया जबकि प्रकरण के वास्तविक तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसील चाकसू के ग्राम सूरजपुरा उर्फ टुंटोली के खसरा नम्बर 1931 रकबा 6.86 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 6.86 हैक्टै0 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 1 के पति मांगू के नाम दर्ज है किन्तु रिकॉर्ड में जाति व निवास स्थान गलत दर्शाया गया है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 276 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा थे जो संवत 2027 से 2031 में कालूराम पुत्र पूराराम जाति मीणा निवासी नांगल्या की ढाणी के नाम दर्ज थे उक्त खातेदारों से प्रतिवादी नं. 1 के पति मांगू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नं. 41 दिनांक 31.1.1974 द्वारा अपने आपको जाति मीणा व ग्राम चित्तौडा तहसील फागी का निवासी बताते हुए उक्त विक्रय पत्र करवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

लिया। इसके पश्चात् उक्त प्रतिवादी नं. 1 के पति मांगू ने तहसील चाकसू के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण सं. 518 दिनांक 28.12.1978 द्वारा अपनी जाति को मीणा से अहीर करवा लिया व निवास को भी दुरूस्त करवा लिया। इसके पश्चात उक्त प्रतिवादी नं. 1 के पति मांगू ने विक्रय पत्र नं. 251 दिनांक 21.2.1979 द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थीगण को विक्रय कर दी तथा कब्जा सम्भला दिया जिसका भी नामान्तकरण नं. 527 दिनांक 20.2.1979 भी अपीलार्थीगण के हक में खुल गया था। उक्त प्रकरण में चूंकि मूल खातेदार जाति से मीणा था इस कारण तहसीलदार चाकसू द्वारा एक प्रकरण धारा 175 आर.टी. एक्ट का मुकदमा नं. 106/85 उनवानी सरकार बनाम कालूराम न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू के यहां दर्ज करवाया जिस प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू द्वारा दिनांक 15.3.2001 को निर्णित कर उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित कर दिया तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर दी। न्यायालय सहायक कलक्टर के उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ अपीलार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील नं.63/2001 पेश की थी जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने दिनांक 21.11.2004 को निर्णय पारित कर सहायक कलक्टर चाकसू के आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया था किन्तु उक्त पत्रावली में अभी तक भी पक्षकारों को ना तो कोई नोटिस प्राप्त हुए है और ना ही इस पत्रावली की इस समय कोई जानकारी ही उपलब्ध है। इसी क्रम में चूंकि जमीन मांगू पुत्र नारायण मीणा चित्तोडा के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है ऐसे में एक अन्य व्यक्ति प्रहलाद ने अपने आप को उक्त मांगू का वारिस बताते हुए नामान्तकरण हेतु तहसीलदार चाकसू के यहां उपस्थित हुआ जिस पर तहसीलदार चाकसू ने अपना निर्णय 2.8.2014 को पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जिस पर उक्त प्रहलाद न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर द्वितीय के यहां गया वहां से भी अपील खारिज हुई जिसकी अपील वर्तमान में न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां विचाराधीन है। उक्त भूमि के बेचान को अवैध मानते हुए तत्कालीन तहसीलदार चाकसू द्वारा क्रेता, विक्रेता, कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस थाना चाकसू में दिनांक 6.8.1985

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

को प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 150/85 व 151/85 दर्ज करवायी थी जिससे सब मुल्जिमों को जेल होकर चालान प्रस्तुत हुआ है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री मांगू द्वारा अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि दिनांक 21–8–1979 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था इसलिए वास्तविक स्वामी तो अपीलार्थीगण ही है तथा उन्हें यह अपील करने का अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादी ने आपस में षडयंत्र करके वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जिससे अपीलार्थीगण पीडित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि प्रकरण संख्या 106/85 में सिवायचक घोषित की गई थी तथा विक्रय पत्र जो मांगू के हक में करवाया गया था वह धारा 42 का उल्लघंन है ऐसे में दावा चलने योग्य नहीं था परन्तु फिर भी फर्जी राजीनामा के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य हैं। अपीलान्टस द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21–3–2017 को अपास्त किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. भी प्रस्तुत किया गया है।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दौराने अपील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया है। दस्तावेजात में न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–34 चाकसू की दीवानी प्रकरण संख्या 77/17 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11–7–2017, प्रकरण से संबंधित दावा बाबत घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिलिपि, न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 92/17 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11–7–2017 की प्रतिलिपि, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिलिपि, तथा न्यायालय में रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद बाबत निरस्ती विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर न्याय हित में इन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा रिबटल में रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा प्रकरण संख्या 106/1985 में पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई उन्हें भी रिकॉर्ड पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री साज करके प्राप्त की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही विचाराधीन है तथा अपीलान्ट का दावा भी लम्बित है फिर भी जो पक्षकारों द्वारा राजीनामा करके डिक्री प्राप्त की गई है वह तथ्यों को छुपाते हुए तथा षडयंत्र करके प्राप्त की गई हैं। प्रकरण में अपीलान्ट अन्तिम क्रेता होने से वास्तविक हितबद्ध पक्षकार है तथा अपीलाधीन निर्णय से व्यथित एवं पीडित है। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 23–1–1974 को मांगू पंत्र नारायण जो कि मूली रेस्पोडेंट का पति है, द्वारा करवा लिया गया था। उक्त विक्रय पत्र अपनी वास्तविक जाति को छुपाकर तस्दीक करवाया गया था जो कि धारा 42 का उल्लघंन होने से शुन्य प्रभावी था। इसी आशय का एक मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन रहा जिसमें दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया तथा सिविल कोर्ट द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23–1–1974 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मजिस्ट्रेट क्रम – 34 चाकसू द्वारा जरिये डिक्री दिनांक 28–3–2016 को अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी व धोखापूर्ण घोषित किया जा चुका है इसलिए भूमि के वास्तविक खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 हैं। जिन्हें उचित तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खातेदार घोषित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। क्रेता से अधिक अधिकार विक्रेता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट्स को भूमि विक्रय करने वाले क्रेता स्वयं के विक्रय पत्र को, जिसके मार्फत वह खातेदार होने का दावा करता है, न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित किया जा चुका है अतः अपीलान्ट्स को वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार अपीलान्टस प्रकरण में व्यथित पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नहीं है तथा इन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि राजीनामा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात तथा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अपीलान्ट्स द्वारा अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की गई है कि वे अपीलाधीन निर्णय से व्यथित एवं पीडित हैं तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 96 सी0पी0सी0 भी प्रस्तुत किया गया हैं प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि "प्रतिवादी सख्या 01 के पति स्व0 मांगू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 21/08/1979 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपीलान्ट्स के हित में विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया था।जिसका नामान्तकरण भी सख्या 527 दिनांक 20–2–1979 अपीलार्थीगण के हक में खुल चुका था तो फिर वास्तविक स्वामी तो अपीलार्थीगण है तथा उन्हें यह अपील भी करने का अधिकार है तथा वादी व प्रतिवादी ने आपस में षडयंत्र करके सारे वास्तविक तथ्यों को छुपाकर फर्जी राजीनामा बताते हुये उक्त डिक्री पारित करवाई है जो निरस्त होने योग्य है तथा किन्तु फिर भी बिना समस्त रिकॉर्डेड सह–खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये, बिना वर्तमान जमाबंदी को देखे, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत जाकर कार्य किया है इस भूमि में प्रार्थी का हक निहित है। अपीलार्थी का अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जिसके लिये माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हैं।ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है।" अपीलान्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सह–खातेदार है। नामान्तकरण सख्या 527 दिनांक 20/02/1979 की फोटो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रति जो पत्रावली में उपलब्ध हैं, से स्पष्ट है कि नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपील के साथ जो जमाबंदी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें वादग्रस्त भूमि मांगू पुत्र नारायण जाति मीणा साकिन चित्तौडा के नाम दर्शाई हुई है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि यह साबित हो सके कि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह साबित हो कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से पीडित अथवा व्यथित हैं। दूसरी ओर अपीलान्ट्स द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें स्वयं अपीलान्ट्स द्वारा कथन किया गया है कि प्रतिवादी सख्या 01 के पति मांगू द्वारा अपनी जाति मीणा अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि क्रय की गई थी तथा तत्पश्चात अपनी जाति अहीर अंकित करवाकर वादग्रस्त भूमि का बैचान अपीलान्ट्स के हक में कर दिया गया।इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि मांगू द्वारा जो उन्हें विक्रय किया गया है वह कानून सम्मत नहीं हैं।वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार काूल द्वारा जो विक्रय–पत्र प्रतिवादी सख्या 01 के पति मांगू को दिनांक 31/01/1974 को तस्दीक करवाया गया था उसे सिविल न्यायालय द्वारा शून्य, अवैध एवम् निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका हैं, अतःउक्त विक्रय–पत्र के आधार पर आगामी हस्तान्तरण भी स्वतः ही शून्य हैं। अपीलान्ट्स द्वारा जो दस्तावेजात प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं, वे सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरणों से सम्बन्धित हैं।इन दस्तावेजात से अपीलान्ट्स की अपील को कोई बल नहीं मिलता हैं। रेस्पोडेंट द्वारा रिबटल में दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12/10/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण से सम्बन्धित वाद अर्न्तगत धारा 175 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जा चुका हैं। इस प्रकार प्रकरण में वर्तमान स्थिति स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट सख्या 01 लगायत 03 के पिता द्वारा रेस्पो0 सख्या 04 के पति के पक्ष में कराया गया विक्रय–पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है अतः उक्त विक्रय–पत्र की रूह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से कोई हक, अधिकार हस्तान्तरित नहीं हुऐ है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं हैं।उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्ट्स स्वयं को अपीलाधीन निर्णय से व्यथित अथवा पीडित साबित नहीं कर सके हैं इसलिये उनका प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं हैं।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 28–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर